IJMRT: Volume (6), Issue 4, 2024
International Journal of Multidisciplinary Research Transactions
(*A Peer Reviewed Journal*)
www.ijmrt.in

ISSN (Print):2663-2381
ISSN (Online):2663-4007

भारत में समावेशित शिक्षा, चुनौतियां एवं अध्यापकीय उत्तरदायित्त्व: एक विश्लेषण

डा. ओम प्रकाश यादव[1*], अनूप पांडेय[2]

[1,2] *सहायक प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, रजत कॉलेज लखनऊ, भारत.*
[*]Corresponding author

DoI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10975443

सारांश

समावेशित दर्शन पर आधारित कार्यक्रम कोई प्रयोग नहीं, जिसका परीक्षण किया जाये वरन यह एक ऐसी नैतिकता है l जिसमें समाविष्टता एवं भागीदारी मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मानवाधिकार के संरक्षण को आवश्यक है। यदि सभी शक्तियां समानता, समरसता,तथा बंधुत्व के पक्षधर हो जायें तो विद्यालयों में पृथकता की स्थिति नहीं मिलेगी। वर्तमान में विद्यालय में समावेशित वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए सभी शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों को पुनसंरचित करने की आवश्यकता है l शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों व पाठ्यचर्यात्मक ढाथों में मानवाधिकार की शिक्षा के सत्य को शामिल करने की भी जरूरत है l समावेशित वातावरण में कार्य करने के लिए सम्पूर्ण क्षमता का समुचित निर्माण हो ताकि समावेशित शिक्षा के शास्त्रीय कौशलों का पर्याप्त विकास हो सके l.

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय, चुनौतियां, मानवाधिकार.

1. प्रस्तावना

स्वतंत्रता पश्चात से ही देश में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी दूसरी शिक्षा-व्यवस्था है l जहाँ लगभग १० लाख स्कूलों में 16,97,81,146 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बच्चों को लगभग 55.30.269 शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं (सातवी ऑल इण्डिया विद्यालयीय शिक्षा-सर्वेक्षण)। लाखों ऐसे बच्चे, जो विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक रूप से असंतुलित है, को शिक्षा की मुख्य धारा

Copyrights@IJMRT

में शामिल किए बिना, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। 58वें सर्वे (एन.एस. एस.) के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 18/49 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का 1.8% है. इसमें 55% निरक्षर है और मात्र 9% ही माध्यमिक व आगे की शिक्षा प्राप्त कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 18 साल के 1,000 मानसिक एवं शारीरिक अक्षम बच्चों में से 475 ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है. जबकि 1,000 विशिष्ट शहरी बच्चों में से केवल 444 ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे है। निः शक्तजनों के अधिकारों की शिक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के अनुसार भारत सहित अन्य विकासशील देशों में मात्र 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक ही विकलांग बच्चे विद्यालयों में नामांकित है, बाकी के 99% से 97% बच्चे शिक्षा-व्यवस्था से बाहर है। अतः सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को धरातल पर उतारने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि सभी बच्चों को शिक्षित किए जाने का प्रयास किया जाए।, सामान्यतः भारत में विकलांगता से ग्रस्त बालको के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण उपेक्षित ही रहा है। समग्र रूप से विकलांगों की शिक्षा को पाँच अवस्था में देखा जाता है l

प्रथम,अवस्था में विकलांगता को पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित भावना से देखा जाता था l जिससे उन्हें समाज से उपेक्षित माना जाता था। द्वितीय अवस्था में उन्हें ईश्वरीय दया एवं समानभूति का अधिकारी मानकर उनकी व्यथा-पीड़ा का समाधान धार्मिक रूप से किय जाने लगा। तृतीय अवस्था में अक्षमता का आधार मानकर मनोचिकित्सकों व शिक्षाविदों के प्रयासों से शारीरिक मानसिक विकलांग बच्चों की शिक्षा आदि के लिए विशिष्टाई स्थापना की गई।

चतुर्थ अवस्था में विकलांग बालकों की शिक्षा को भी समान्य बालको की विद्यालयों की शिक्षाधारा से जोड़ा जाय,सामान्य एवं विशिष्ट विद्यालयों के विकल्प पर कतिपय विचार-विमर्श किया जाने लगा तथा इस तरफ 21वीं सदी के शिक्षा पर सभी का ध्यान गया परिणामस्वरूपविशिष्ट आवश्यकताओं के सम प्रत्यय का आगमन हुआ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा मुख्य धारा पर आ पहुँची और ये

माना जाने लगा कि प्रत्येक विकलांग बालक की समस्याओं का समाधान व्यतिगत तौर पर होना चाहिए और इसे कक्षा में विकसित करने के लिए शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीकियों की जरूरत को महशूस किया जाने लगा , साथ ही बालकों को मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगाकर उनके अनुसार समाधान खोजे जाने लगे, साथ ही साथ विद्यालय में सभी वह साधन उपलब्ध कराये जो उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में समेकित शिक्षा को महत्व पूर्ण स्थान दिया गया,कहने का तात्पर्य यह है कि यही एक प्रकार की स्वीकार्यरता है जिसके द्वारा बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा-व्यवस्था में शामिल कर उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम, सामान्य अध्यापकों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में शिक्षाण किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों में एक दूसरे के साथ सीखने, सहयोग, संरक्षण आदि की भावना विकसित हो और वसुधविकुटुम्बकम की भावना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके विभिन्न कौशलों एवं नैतिक मूल्यों की आवश्यकताओं के महत्व को समझकर अपने आपको कक्षा के बाहर व भीतर होने वाली गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेकर सह-अस्तिव एवं सह-कर्तव्य की भावना का पाठ आत्मसात कर सकें।

2. समावेशित शिक्षा एवं चुनौतियों

व्यावहारिक रूप से देखें तो ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा एवं अन्य सुविधायें प्रदान है. उन्हें उनके ही हम उम्र के बालकों से पृथक रखा जाता है। कभी-कभी तो विशिष्ट विद्यालयों का वातावरण बहुत सीमित होता है. ऐसे विद्यार्थी, जो सीखने में अधिक सक्षम होते हैं, वे भी अवसर की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं तथा कम विकलांगता होने पर सामान्य विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भी शैक्षिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से उतना ध्यान नही रखा जाता। अधिकतर विद्यालय इस बात के लिए तैयार नहीं दिखते कि विशिष्ट आवश्यकता समूह वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाये। वह यह मनोवृत्ति बना चुके हैं कि क्यों एक सामान्य अध्यापक ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बेल या संकेत भाषा सीखें? उनकी नियुक्ति तो इनको पढ़ाने के लिए नहीं हुई है।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों में एक ये भी था कि एक त्रिस्तरीय विशेषज्ञों की टीम जिसमें एक डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, व विशेष प्रशिक्षक द्वारा बच्चों का कार्यात्मक एवं बौद्धिक मूल्यांकन करवाकर उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण में शिक्षण का प्रबन्ध किया जाये, तथा सामान्य अध्यापकों को थोड़े बहुत दिनों का (45-90 दिन) प्रशिक्षण देकर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाया जाये। परन्तु परिणाम यह रहा है कि विशिष्ट बालकों की पहचान के संबंध में बहुत भ्रामक स्थिति देखने को ही मिली है- जैसे एक बच्चे को जिसके हाथ पर जलने का निशान के आधार पर ही उसे विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालक के ही रूप में दर्ज किया गया। कुछ विद्यालयों में 2-3 साल से एक ही कक्षा में फेल हो रहे बच्चों को मानसिक विकलांगता / अधिगम विकलांगता के रूप में विद्यालय में दर्ज किया गया ऐसे हालातों से क्या ये पता नहीं चलता कि बच्चों की पहचान के लिए लक्ष्य जो निर्धारित किये गये उनके नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में इसे अतिआवश्यक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आवश्यकता रूप में देखा गया है. जिसके तहत विशेष आवश्यकता बाले बच्चों ने समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दाखिला ले लिया पर उनकी स्थिति, संथाल, विवादों, जटिलताओं और चुनौतियों के रूप में निम्न प्रकार दिखती है l

I. स्कूल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को दाखिला देने की वास्तव में रूचि प्रकट करते हैं या मात्र आदेश के पालन करने की औपचारिकता दिखाते हैं?

II. क्या स्कूलों का भौतिक एवं भावात्मक वातावरण ऐसे बच्चो स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है?

III. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशित शैक्षिक वातावरण में स्वयं को पूरे तरीके से सहज व सुरक्षित महसूस करते हैं?

IV. शिक्षकों द्वारा भावात्मक एवं बौद्धिक तौर पर उन्हें स्वीकार करने की वास्तव में चेष्टा की गयी है?

V. विद्यालय के प्रत्येक सदस्यों में इनके प्रति संवेदनशीला, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सहज व्यवहार करने की प्रवृति का विकास हो पाया है?

VI. कक्षा व विद्यालय परिसर में खेल व अन्य उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बालको की जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम है?

VII. विद्यालयों के शैक्षिक स्टाफ के अलावा दूसरे कर्मचारियों का व्यवहार एवं रवैया इन बच्चों के प्रति सकारात्मक है?

VIII. सामान्य विद्यार्थियों के अभिभावक आदि भी इन बच्चों की शिक्षा व जरूरतों के प्रति जागरूक हैं?

IX. व्यवस्थागत तंत्र जैसे शिक्षा तकनीकी क्षमता,सहायक शिक्षण सामग्री, आकलन प्रक्रिया इत्यादि समावेशन के लिए स्वयं को तैयार कर पायी हैं?

उपरोक्त समस्त चुनौतियों के उत्तर कब तक मिल पाएंगे यह स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय चुनौतीपूर्ण विन्दु है, जिसके समस्त समाधान समय की गर्त में है जो हम सभी के दायित्व को बराबर याद दिलाते हैं।

3. समावेशित शिक्षा अध्यापकों का उत्तरदायित्व :

चुनौतीपूर्ण बालकों को समान विद्यालयों में शामिल किये जाने से सम्बन्धित चाहे कितने ही प्रावधान क्यों ना बना लिये जायें यदि अध्यापक एवं मौजूद कर्मचारियों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है तो इन प्रावधानों की उपलब्धिया किसी भी संदर्भ में मायने नहीं रखती,, सार्थकता तभी है जब कथनी करनी में अन्तर नही रहेगा। महती आवश्यकता ये है कि विद्यालयीय वातावरण से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय प्रमुख सीखने सीखाने से जुड़े व्यक्ति, लिपिक, सहायक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार यहाँ तक कि विद्यालय से बाहर खान-पान की वस्तुरी बेचने वाले सभी का दृष्टिकोण सकारात्मक हो।

सामान्यता देखने को मिलता है कि विशिष्ट अध्यापना की इच्छा बच्चों की विकलांगता पर निर्भर है। अध्यापक बालकों के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं, अतिमन्द और व्यवहार से सम्बन्धित समस्या के प्रति ये सकारात्मक रवैया सबसे कम लोकोमोटर और बौद्धिक विकलांगता के स्थिति की गम्भीरता विकलांग बच्चों को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ जोड़ने में नकारात्मक अभिवृति को उत्पन्न करती है। सभी के दृष्टिकोण के संदर्भ में सबसे जरूरी अनिवार्यता इस बात की है कि वे सभी समावेशित स्कूली वातावरण और समावेशित पाठ्यचर्या के वास्तविक अर्थों से परिचित हो जायें और उसे गम्भीरता से स्वीकार करें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा विभिन्नता पूर्ण समूह को सम्बोधित करने वाली युक्तियों के संदर्भ में शिक्षकों की क्षमता विकसित की जाये। जैसे

I. सर्वप्रथम इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित किया जाना जरूरी है कि भले ही पाठ्यचर्या एक समान है परन्तु विद्यार्थियों के समूह विशेष के लिए शिक्षण व्यवहार तथा अनुभव देने की पद्धतियों दोनो भिन्न-भिन्न हो सकती है।

II. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर अध्यापकों को इस तरह की रणनीति अपनानी होगी जो प्रत्येक स्थिति में विद्यार्थियों को मददगार हो।

III. जैसे समूह-शिक्षण, साथी शिक्षण, बोलने की गति को धीमा करना, स्पष्ट उच्चारण, बोलते समय विशेष रूप से इन बच्चों की तरफ देखना जो कमजोर श्रवण शक्ति वाले है या ऐसी जरूरत वाले हैं।

IV. कक्षा प्रबन्धन में ऐसे फेर बदल कर कक्षा को समावेशित बनाया जा सकता है। यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि विशेष आवश्यकता वाले बालक गतिविधि विशेष में ही भाग ले सकते हैं।

V. अध्यापको को इस बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि इन्हे हर गतिविधि में शामिल करें जैसे बागवानी, खुदाई-गुड़ाई, कास्ट कला, पुस्तक कला आदि, अगर नही कर सकते तो उन्हें योजना सम्बन्धी कार्य करने चाहिए जैसे यह योजना बनायेंगे कि कोई कार्य क्रम की रूपरेखा कैसी होगी, उसका संचालन कैसे कैसे होगा आदि, जैसे काम भी सौंपा जा सकता है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि समावेशित दर्शन आधारित कार्यक्रम कोई प्रयोग नहीं, जिसका परीक्षा किया जाये। ये एक ऐसी नैतिकता है जिसमें समाविष्टता एवं भागीदारी मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मानवाधिकार के संरक्षण को आवश्यक है। यदि सभी लोग एकता, समग्रता, समरूपता, बंधुत्व के पक्षधर हो जाएं तोविद्यालयों में पृथकता की स्थिति नहीं मिलेगी। वर्तमान में समावेशित शैक्षिक वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए सभी शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों को पुनसंरचित करने की आवश्यकता के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों व पाठ्यचर्यात्मक ढाचो में मानवाधिकार की शिक्षा के तत्व को शामिल करने की भी जरूरत है। ताकि समावेशित वातावरण में कार्य करने के लिए सम्पूर्ण क्षमता का समुचित निर्माण हो और समावेशित कक्षा के लिए शिक्षा-शास्त्रीय कौशलों का पर्याप्त विकास हो सके।

REFERENCES

[1]. थॉमस जी. 1997, इन्क्लूसिव स्कॅल्स फार एन इन्क्लूसिवसोसाइटी, ब्रिटिश जनरल ऑफ एजूकेशन, 24 (3) एन.सी.ई.आर.टी. 2006, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नई दिल्ली।
[2]. एन.सी.ई.आर.टी. 2002. अध्यापक और उनकी योग्यताएँ नई दिल्ली। एन.सी.ई.आर.टी. 2002. सातवां अखिल भारतीय विद्यालयीशिक्षा सर्वेक्षण, नई दिल्ली।
[3]. भार्गव एम एवं भार्गव एच.पी. 2003, एक्सेपशनल चिल्ड्रन भार्गव हाउस, आगरा।
[4]. तलवार, एम.एस. 2005, टीचर एण्ड ग्लोबलाइजेशन कावेरी प्रकाशन बंगलौर।